● मैक्स अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन कर मुख्य द्वार को जाम किया ● बच्चे के अंतिम संस्कार से इनकार, पुलिस ने समझा बुझाकर मामला सुलझाया

नवजात की मौत पर परिजनों का गुस्सा फूटा

अस्पताल में खिलवाड़

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल की ओर से पिछले गुरुवार को मृत बताए गए जीवित बच्चे की बुधवार को मृत्यु हो गई। मैक्स अस्पताल से लाने के बाद बच्चे को पांच दिन पहले पीतमपुरा स्थित अग्रवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

बच्चे की मौत के बाद मैक्स अस्पताल के बाहर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन किया और कुछ समय के लिए अस्पताल के मुख्य द्वार को जाम कर दिया।

अस्पताल के बाहर हालात को बिगड़ता देख पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। कुछ जगहों पर बेरिकेडिंग भी कर दी। वहीं, दूसरी तरफ बच्चे के माता-पिता ने बच्चे का शव लेने से इनकार कर दिया था। उनका कहना है कि जब तक आरोपी डॉक्टरों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे बच्चे का शव नहीं लेंगे। हालांकि बाद में उन्हें शव लेने को राजी कर लिया गया।

बच्चे की मौत की खबर सुनकर बुधवार को मैक्स अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते लोग। ● हिन्दुस्तान

तनाव को देखते हुए अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। ● हिन्दुस्तान

दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो

बच्चे की मौत होने के बाद परिजन बड़ी संख्या में मैक्स अस्पताल के बाहर जमा हो गए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की मांग कर रहे थे। साथ ही दोषी डाक्टरों को गिरफ्तार करने की भी मांग की गई।

अपने बच्चे को खोने के बाद बुधवार को मैक्स अस्पताल के बाहर बिलखती मां। ● हिन्दुस्तान

मां को अस्पताल से छुट्टी मिली

परिजनों ने नवजात की मां वर्षा को बुधवार शाम अस्पताल से डिस्चार्ज करा लिया। मां पांच दिन तक जिंदगी से लड़ते रहे अपने बच्चे को देखने के लिए बेताब थीं। उन्होंने बुधवार को अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने मृत बेटे को देखा। नवजात की मां ने अपने परिवार के साथ अस्पताल से नीचे आकर अपना रोष जताने की इच्छा जाहिर की थी।

आज अंतिम संस्कार : बच्चे के नाना प्रवीण का कहना है कि अभी उन्होंने बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया है। गुरुवार दोपहर करीब 11 बजे इस बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला

शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल में 30 नवंबर को डॉक्टरों ने एक जिंदा बच्चे को मरा हुआ बताकर परिजनों को सौंप दिया। बाद में दोनों बच्चों के शव पैकेट में डालकर दे दिए। मधुबन चौक पर अचानक एक पैकेट से कुछ हरकत होने लगी। पैकेट खोला तो लड़के की सांस चल रही थी। उसे पीतमपुरा के अग्रवाल नर्सिंग होम में ले गए जहां डॉक्टर ने बच्चे को जिंदा और काफी हद तक स्वस्थ बताया था।

'रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई'

नई दिल्ली (प्र.सं.)। मैक्स अस्पताल शालीमार बाग में बच्चे के मामले में हुई लापरवाही के बाद दिल्ली सरकार एक्शन के मूड में है। स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को कहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में अस्पताल दोषी पाया गया है। सरकार अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अगले तीन दिनों के अंदर सरकार को रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बाद कानूनी दायरे में कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

बुधवार को मैक्स मामले में बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने एक वार्ता में कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। उसमे अस्पताल की लापरवाही दिखती है। इस मामले में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि हम अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सरकार कड़े कदम उठाएगी। जैन ने कहा कि निजी अस्पतालों को इस तरह की लापरवाही पर बख्शा नहीं जाएगा। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है।

अपने शहर में

द स्नो ऑफ कलिमंजारो का एक दृश्य

● **फिल्म स्क्रीनिंग :** फ्रैंच फिल्म 'द स्नो ऑफ कलिमंजारो' की स्क्रीनिंग, अंग्रेजी सब-टाइटल के साथ, अलायंस फ्रांसिसे डे दिल्ली, 72, लोधी एस्टेट, शाम 6:30 बजे। **प्रवेशः** निशुल्क

● **थियेटर :** बच्चों व युवाओं के लिए 'टिफली इंटरनेशनल टीवाईए फेस्टिवल' का अयोजन, राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, शाम 5 बजे से। **प्रवेशः** टिकट से

● **फिल्म उत्सव :** छठा दिल्ली अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, संसद मार्ग, जंतर-मंतर के सामने, सुबह 10 बजे से। **प्रवेशः** निशुल्क

● **प्रदर्शनी :** 'हीरो अनटू इंफिन्टी' नाम से अनिता सेठी द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की एकल प्रदर्शनी, त्रिवेणी कला संगम, 205, तानसेन मार्ग, मंडी हाउस, सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। **प्रवेशः** निशुल्क

● **प्रदर्शनी :** सबा हसन सुंबुल द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की एकल प्रदर्शनी, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्रॉफ्ट सोसायटी, 1 रफी मार्ग, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक। **प्रवेशः** निशुल्क

● **प्रदर्शनी :** 'ब्लैक ऑफ द माइंड' नाम से निविदिता सेन द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी, ललित कला अकादमी, रविंद्र भवन, मंडी हाउस, सुबह 11बजे से शाम 7 बजे तक। **प्रवेशः** निशुल्क

● **प्रदर्शनी :** 'शहर-ए-दिल्ली' नाम से यजनेका अरोड़ा के स्केच की प्रदर्शनी, इंडियन हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, सुबह 10 से रात 8 बजे तक। **प्रवेशः** निशुल्क।

अगर आप भी इस कॉलम में किसी आयोजन की सूचना प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें **hellohindustan@livehindustan.com** पर मेल कर सकते हैं।

पायलटों के काम की अवधि तय करने के नियम बताएं

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

पायलटों की ड्यूटी की अवधि तय करने की मांग पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय से जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पायलटों की उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) को जानबूझकर लंबी व कठोर बनाया गया है, जिसकी वजह से उन्हें थकान होती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायाधीश सी. हरी. शंकर की पीठ ने केंद्र सरकार और विमानन महानिदेशालय को नोटिस जारी किया है। पीठ ने दोनों पक्षों को 20 मार्च तक जवाब देने को कहा है। उसी दिन मामले की सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि यह बहुत ही खतरनाक है। इस तरह के मामलों में केंद्र और डीजीसीए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने बताने के लिए कहा है कि क्या कोई नियम है जो पायलटों को 8 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने की अनुमति देता है।

किताबें सुरक्षित रखी जाएं: कोर्ट

नई दिल्ली (प्र.स.)। हाईकोर्ट ने लगभग एक साल से बंद पड़े 55 साल पुरानी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में रखे किताबों को संरक्षण का आदेश दिया है। यह लाइब्रेरी पिछले साल नवबंर माह से बंद है और इसमें किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरि. शंकर की पीठ ने कहा कि लाइब्रेरी बंद है, ऐसे में यहां रखी किताबें, सीडी व कंप्यूटर के क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। उन्होंने संबंधित प्राधिकार को किताबों, कैटलॉग, सीडी आदि को मुख्य ब्रांच या किसी अन्य जगह संरक्षित करने कहा है।

निशक्त बच्चों के लिए नीति बनाने की तैयारी

पहल

नई दिल्ली | कार्यालय संवाददाता

सीबीएसई ने निशक्त बच्चों के बोर्ड संबंधी नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। साथ ही, स्कूलों से बच्चों की जरूरतों को ध्यान रखते हुए सुझाव भी मांगा है।

सीबीएसई के अतिरिक्त निदेशक डॉ. विश्वजीत साहा की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि ये समिति निशक्त बच्चों के बोर्ड के बारे में नीति तैयार करेगी। वहीं, समावेशी शिक्षा प्रदान करने का खाका भी पेश करेगी। पत्र के अनुसार ये बोर्ड विशेष जरूरत वाले बच्चों की परीक्षा के संबंध में नीति तैयार करेगा। इस नीति में ऐसे बच्चों पर खास ध्यान रखा जाएगा जिनके सीखने की रफ्तार काफी धीमी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत के मद्देनजर 1 दिसंबर को एक कार्यशाला का आयोजन किया था। इसमें शिक्षा से जुड़े विभिन्न पक्षकारों ने हिस्सा लिया था। वहीं, छह से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों के साथ स्कूल में भेदभाव नहीं होगा।

शिक्षा मुहैया कराने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली। अशक्त बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने की मांग पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में सभी स्कूलों में समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने की मांग की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ में सुनवाई हो रही है। मामले को पीठ ने बेहद ही गंभीर मामला बताया।

हाईकोर्ट ने सरकार को चार हफ्ते का समय दिया

अशक्त बच्चों के मामलें में पीठ ने सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र अशक्त जन अधिकार कन्वेंशन का अनुमोदन करने के नाते देश में सभी स्कूलों में समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाना एक दायित्व है।

अपील

मेरी प्यारी बहनों और भाइयों,

दिल्ली सरकार ने बेघर लोगों के लिए बुनियादी सुविधाऐं जैसे स्वच्छ पेयजल, शौचालय, कंबल, बिस्तर आदि से युक्त **248** रैन बसेरों की स्थापना की है। ये रैन बसेरे चौबीस घंटे खुले हैं और निः शुल्क हैं।

शीतकाल के दौरान लोग खुले में सोने के लिए मजबूर न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। यह देखा गया है कि नागरिक और अन्य धर्मार्थ संस्थान कंबल, गद्दे, रजाई, गर्म कपड़े और पैसे बेघर लोगों को दान करते हैं। मैं इस तरह के नागरिकों और संगठनो से अपील करता हूँ कि इन वस्तुओं का दान नजदीकी रैन बसेरों या दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के नियंत्रण कक्ष, जो कि पुनर्वास भवन आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली - 02 मे स्थित है, में देने की कृपा करें ना कि गलियों या सड़कों पर रह रहे बेघर लोगों को। आपका यह प्रयास बेघर लोगों को शीतकाल के दौरान खुले में ना सोकर रैन बसेरों में सोने के लिए प्रोत्सहित करेगा क्योकि इस दौरान खुले में सोना बेघर लोगों की सेहत और जान के लिए खतरनाक है।

मैं अपील करता हूँ कि यदि आप बेघर लोगों को खुले में सोते हुए पाएँ तो उन्हें नजदीकी रैन बसेरों में स्थानान्तरित होने के लिए प्रोत्साहित करे या दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की एप **"Rain Basera"** के माध्यम से बेघरों का फोटो खींचकर भेजे। इस एप को निम्न नम्बर पर मिस्ड कॉल करके डाउनलोड किया जा सकता है।

8826400500

आप दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के नियंत्रण कक्ष, फोन नंबर **011-23378789, 8527898295** और **8527898296** पर भी संपर्क कर सकते हैं।

अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री, दिल्ली

DIP/SHABDARTH/D/0131/17-18

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (दिल्ली सरकार)
दिल्ली सरकार — आप की सरकार

प्रभाकर माचवे को याद किया

नई दिल्ली (प्र.स.)। वरिष्ठ साहित्यकार प्रभाकर माचवे की जन्मशतवार्षिकी पर साहित्य अकादमी द्वारा एकदिवसीय गोष्ठी आयोजित की गई। वक्ताओं ने इस मौके पर कहा कि माचवे हिन्दी साहित्य को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले साहित्यकार थे।

माचवे ने साहित्य की अलग-अलग विधाओं में लेखन किया। अकादमी के हिन्दी परामर्श मंडल के संयोजक सूर्यप्रकाश दीक्षित ने कहा कि माचवे यथार्थता को स्वीकार करने वाले साहित्यकार थे। इस मौके पर विष्णु खरे, रामदरश मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी आदि ने भी विचार व्यक्त किए।

स्कूलों के बच्चों को नशे की लत से शिक्षक बचा रहे

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षक नशे की लत से बचा रहे। उत्तरी दिल्ली निगम ने पांच सौ से ज्यादा शिक्षकों को मादक द्रव्यों का नशा करने वाले छात्रों की पहचान करने और उन्हें लत से दूर करने का प्रशिक्षण दिया है। स्कूलों में जागरूकता अभियान भी चलाए जाने की योजना है। विशेष प्रयास के बाद 30 बच्चों की लत छुड़ाई गई है।

दिल्ली के तीनों नगर निगम बारह सौ के करीब स्कूलों का संचालन करते हैं। इनमें सात लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं। अकेले उत्तरी दिल्ली निगम ही 715 विद्यालयों का संचालन करता है। इनमें सवा तीन लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अक्सर स्कूलों में बच्चों द्वारा नशा किए जाने की शिकायत मिलती है। अभी तक 504 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। मधुप व्यास, उत्तरी निगम आयुक्त विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों के जरिए नशा करने वालों की पहचान की गई। विशेष प्रयास के बाद इनकी लत छुड़ाने में सफलता मिली है। आगे भी यह कोशिश जारी रहेगी।

लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी

नई दिल्ली (का.सं.)। नगर निगम ने अपने सभी निगम कार्यालयों पर नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं के विस्तार का फैसला किया है।

ऐसे में आने वाले दिनों में निगम कार्यालय में नागरिकों को खड़े होकर नंबर नहीं लगाना पड़ेगा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की महापौर कमलजीत सहरावत ने बताया कि निगम के जोन कार्यालय ऐसे होते हैं, जहां पर जनता निगम द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लाभ के लिए बड़ी संख्या में आती है। अभी की व्यवस्था में लोगों को खड़े होकर लाइन में लगना पड़ता है। सभी जोन में सुविधाओं का विस्तार करेंगे।

इग्नू में दाखिला प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली (का.स.)। इग्नू ने 150 प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन दाखिले मंगाए हैं। जनवरी 2018 सत्र के लिए इग्नू की ओर से स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं।

आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। ये दाखिले विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कंप्यूटर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, कृषि, प्रबंधन, शिक्षा, सामाजिक कार्य, पर्यटन, कानून, प्रदर्शन और दृश्य कला, अंतर और ट्रांस-अनुशासनिक अध्ययन, अनुवाद, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, विस्तार और विकास अध्ययन, विदेशी भाषाएं, पत्रकारिता और नए मीडिया अध्ययन आदि के लिए होंगे।

बाबरी मस्जिद-राम मंदिर पर परिचर्चा रद्द

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने बुधवार को राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मुद्दे पर होने वाली सभी परिचर्चाओं को रद्द कर दिया है। अलग-अलग संगठनों ने इसका आयोजन किया था। एक में भाजपा नेता जबकि दूसरे में माकपा और ऐपवा नेता को वक्ता के तौर पर बुलाया गया था। जेएनयू के छात्र कल्याण विभाग की ओर से जारी नोटिस में विश्वविद्यालय परिसर में सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखना इसका कारण बताया गया है।

बुधवार को विवेकानंद विचार मंच ने कोयना छात्रावास में रात 9 बजे 'अयोध्या में राम मंदिर क्यों' विषय पर परिचर्चा रखी थी। इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी शामिल होने वाले थे। छात्रावास के वार्डन ने एक नोटिस जारी कर कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश दिया है। इस पर स्वामी ने नाराजगी जाहिर की। वहीं, दूसरी ओर जेएनयू छात्रसंघ ने भी बाबरी मस्जिद विध्वंस के 25वें साल और डॉ अंबेडकर के 62वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर परिचर्चा रखी थी। कार्यक्रम में जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रकाश करात और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेंस एसोसिएशन की अध्यक्ष कविता कृष्णन को मुख्य वक्ता के तौर पर बोलना था। वहीं छात्र संघ ने विरोध में प्रशासन का पुतला जलाया।

सोशल मीडिया पर छाया रहा जेएनयू का मुद्दा

राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद कार्यक्रम रद्द होने का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया रहा। ट्विटर और फेसबुक पर लोगों ने इसपर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। अनुपम पांडे नाम के एक यूजर ने लिखा कि जेएनयू में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हैं। राम मंदिर पर चर्चा रोका जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं, एक अन्य फेसबुक यूजर ने लिखा कि वाम संगठनों के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को अनुमति दे दी। बतादें कि प्रशासन ने जेएनयूएसयू के कार्यक्रम को भी बाद में रद्द कर दिया।

रोहिणी आवासीय योजना के आवंटियों को घर मिलेंगे

नई दिल्ली | कार्यालय संवाददाता

डीडीए की ओर से 1981 में शुरू की गई रोहिणी आवासीय योजना के आवंटियों को जल्द मकान मिल सकेंगे। डीडीए की ओर से दी गई एक जानकारी के अनुसार जल्द ही 14352 आवंटियों को आवंटन के पत्र जारी किए जाएंगे।

रोहिणी आवासीय योजना में निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है। इसके जल्द पूरा होने की संभावना है। इस योजना के तहत एमआईजी, एलआईजी, ईडब्लूएस व जनता श्रेणी के मकान दिए जाने हैं। एक आकलन के अनुसार इस आवासीय योजना के तहत लोगों को जल्द ही रहने के लिए छत मिल सकेगी। यह योजना लगभग 2497 हेक्टेयर में बनी है।

खुशखबरी

- जल्द ही 14352 आवंटियों को आवंटन के पत्र जारी किए जाएंगे
- आवासीय योजना लगभग 2497 हेक्टेयर में बनी है

पहचान के लिए अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **एक अज्ञात व्यक्ति जिसका नाम अज्ञात, पुत्रः अज्ञात, पताः अज्ञात, जोकि दिनांक 27.11.2017 को सुबह 10:50 बजे आजादपुर, गेट नम्बर 1, के नजदीक, मस्जिद के पास, आदर्श नगर, दिल्ली में मृत अवस्था में मिला।** इस सन्दर्भ में **DD No.18-A, dated 27.11.2017** पुलिस थाना, आदर्श नगर, दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। नीचे अज्ञात मृत व्यक्ति की पहचान दी गई है:

नामः अज्ञात, उम्रः 30–35 वर्ष, कदः 5'4'', रंगः सांवला, शरीरः पतला, पहनावाः हल्की ग्रे पैंट और कमीज।

अगर किसी को इस मृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।

थाना प्रभारी
पुलिस थाना, आदर्श नगर, दिल्ली
फोनः 011–27674452, 8750870233

DP/7366/NW/17